

कार्यालय कलेक्टर एवं अध्यक्ष, सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति  
राजनांदगांव विकासखंड व जिला राजनांदगांव छ०ग०

// आदेश //

क्रमांक/116/योजना/अंग्रेजी माध्यम/संविदा नियु./2023

राजनांदगांव, दिनांक 02/02/2023

छ०ग०शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन के आदेश क्रमांक/एफ 23-08/2020/20-3/36 अटल नगर नवा रायपुर दिनांक 03.07.2020 के तहत संविदा/प्रतिनियुक्ति के पद स्वीकृति फलस्वरूप कार्यालयीन विज्ञापन क्रमांक/956/योजना/स्वा.आ.अं.मा.वि./भर्ती/2022 राजनांदगांव दिनांक 27.12.2022 द्वारा शालावार/पदवार/विषयवार आवेदन पत्र आमंत्रित किये गये थे। जिले में संचालित सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव में चयन समिति द्वारा मेरिट के आधार पर संविदा हेतु चयनित अभ्यर्थियों को उनके नाम के सम्मुख पदनाम, विषय एवं माध्यम पर निम्न शर्तों के अधीन संविदा नियुक्ति प्रदान किया जाता है।

क	नाम	पिता/पति का नाम	पदनाम	विषय	वर्ग	माध्यम	एकमुश्त वेतन	पता
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	नलिनी कौशिक	श्री अनिल कुमार कौशिक	व्याख्याता	रसायन	अनारक्षित	हिन्दी	38100	क्वा. नं. सी-1 गार्डन के सामने विद्या उपनगर बिलासपुर 495001
2	वेदप्रकाश साहू	श्री महेन्द्र कुमार साहू	शिक्षक	अंग्रेजी	अनारक्षित	अंग्रेजी	35400	57/1 मुड़पार पो. उपरवाह तह. राजनांदगांव 491444
3	अमन मोटवानी	श्री मनोज कुमार मोटवानी	शिक्षक	समाजिक विज्ञान	अनारक्षित	अंग्रेजी	35400	अभिलाषा परिसर नया रायपुर बस स्टैण्ड बिलासपुर, मकान नं. 203 बिलासपुर 495001
4	नितेश कुमार	श्री प्रेम कुमार	शिक्षक	गणित	अनारक्षित	हिन्दी	35400	ग्राम व पो. करगी, पुराना बस स्टैण्ड के पास तह. व वि.ख. कसडौल, बलौदाबाजार 493344
5	गौरव देवांगन	श्री बालक राम देवांगन	सहायक शिक्षक प्रयोगशाला	विज्ञान	अनारक्षित	अंग्रेजी	25300	तुलसीपुर बख्तावर चाल लहरी सदन राजनांदगांव 491441

—: नियम एवं शर्तें :-

1. संविदा नियुक्ति पूर्ण रूप से अस्थायी है। शासन द्वारा यदि उक्त शाला में नियमित शिक्षको की नियुक्ति की जाती है अथवा चयनित कर्मचारी द्वारा किये गये कार्य व्यवहार के असंतोषजनक पाये जाने के आधार पर किसी भी समय समिति द्वारा पदच्युत किया जा सकता है।
2. संविदा नियुक्ति पर प्रतिमाह एकमुश्त वेतन की पात्रता होगी। अन्य किसी प्रकार के अतिरिक्त विशेष भत्ता, महंगाई भत्ता, क्षतिपूर्ति भत्ता, गृह भाडा की पात्रता नहीं होगी।
3. संबंधित कर्मचारी को दिनांक 09.02.2023 तक कार्यभार ग्रहण करना अनिवार्य होगा। नियत तिथि तक कार्यभार ग्रहण न करने की स्थिति में समिति का निर्णय मान्य होगा।
4. संविदा नियुक्ति 30 अप्रैल 2023 तक के लिये होगी। कार्य मूल्यांकन एवं निष्पादन पत्रक के आधार पर संतोषप्रद पाये जाने पर एवं शासन से पद निरंतरता की स्वीकृति प्राप्त होने पर संविदा नियुक्ति पुनः बढ़ाई जा सकती है।
5. यह नियुक्ति छ०ग० शासन सामान्य प्रशासन विभाग के ज्ञाप क्रमांक एफ 9-1/2012/1-3/ रायपुर दिनांक 17 जनवरी 2013 द्वारा जारी छत्तीसगढ़ सिविल सेवा (संविदा नियुक्ति) नियम-2012 के अधीन होगी। संविदा पर नियुक्ति कर्मचारी प्रत्येक कैलेण्डर वर्ष में 18 दिनों के आकस्मिक अवकाश तथा 03

दिनों की ऐच्छिक अवकाश की पात्रता होगी। अवकाश की पात्रता की गणना पूर्ण महीनो के लिये आनुपातिक आधार पर की जायेगी।


6. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी छत्तीसगढ सिविल सेवा (आचरण) नियम,1965 से शासित होंगे।
7. संविदा पर नियुक्त कर्मचारी को संविदा सेवा की अवधि के लिये किसी भी प्रकार की पेंशन, उपदान, एवं मृत्यु लाभ आदि की पात्रता नही होगी।
8. संविदा अवधि के दौरान दोनो पक्षों में से किसी एक पक्ष द्वारा तीन माह पूर्व सूचना या उसके एवज में तीन माह का वेतन देकर नियुक्ति समाप्त की जा सकेगी।
9. संबंधित कर्मचारी द्वारा प्रस्तुत शैक्षणिक एवं अन्य प्रमाण पत्र यदि असत्य पाये जाते है तो संबंधित को तत्काल पद से पृथक कर आपराधिक प्रकरण दर्ज कराया जायेगा।
10. संबंधित कर्मचारी को जिला चिकित्सा अधिकारी( मेडिकल बोर्ड प्रमाण पत्र )से स्वास्थ्य परीक्षण कराकर एक सप्ताह के भीतर फीटनेस प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना अनिवार्य होगा।
11. अभ्यर्थी 10 रु. के स्टॉप पेपर पर यह शपथ पत्र देगें कि उनके विरुद्ध कोई भी आपराधिक प्रकरण दर्ज नही है। पुलिस चरित्र सत्यापन में यदि कोई अपराधिक गतिविधियो या अन्य मामलो में सम्मिलित पाया जाता है तो संविदा नियुक्ति तत्काल समाप्त की जायेगी।
12. उक्त संविदा नियुक्ति में आरक्षण नियमो का पालन किया गया है।
13. संबंधित कर्मचारी के कार्य असंतोषप्रद होने एवं किसी भी प्रकार के विवाद की स्थिति में उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव का निर्णय अंतिम एवं सर्वमान्य होगा।  
(सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय प्रबंधन समिति द्वारा अनुमोदित)

  
(राजेश कुमार सिंह)

जि0शि0अधि0 एवं सचिव  
सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम  
विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव  
जिला राजनांदगांव छ0ग0  
राजनांदगांव,दिनांक 02/02/2023

पृ. क्रमांक/117/योजना/अंग्रेजी माध्यम/संविदा नियु./2023  
प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव,छ0ग0शासन स्कूल शिक्षा विभाग मंत्रालय महानदी भवन अटल नगर नवा रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
2. संचालक,लोक शिक्षण संचालनालय इंद्रावती भवन अटल नगर नवा रायपुर छ0ग0 को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
3. कलेक्टर जिला राजनांदगांव को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
4. संयुक्त संचालक,शिक्षा संभाग दुर्ग को सादर सूचनार्थ संप्रेषित।
5. प्राचार्य, सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम विद्यालय राजनांदगांव जिला राजनांदगांव को सूचित कर लेख है कि संबंधित का कार्यभार ग्रहण कराने के पूर्व समस्त आवश्यक मूल-प्रमाण पत्रों की पूर्णतः जाँच कर लेवे एवं पूर्ण रूप से आश्वस्त होने के पश्चात् निर्धारित तिथि तक कार्यभार ग्रहण करावे एवं पालन प्रतिवेदन भेजे। किसी प्रकार की शंका होने पर मूल प्रमाण-पत्रो सहित इस कार्यालय को अविलंब भेजे एवं संबंधित को कार्यभार ग्रहण न करावें।
6. संबंधित.....को सूचनार्थ एवं पालनार्थ।

  
जि0शि0अधि0 एवं सचिव  
सर्वेश्वर दास शास.उत्कृष्ट अंग्रेजी माध्यम  
विद्यालय प्रबंधन समिति राजनांदगांव  
जिला राजनांदगांव छ0ग0